



## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, अटल नगर, रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई-मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-230/1405

रायपुर, दिनांक 16/07/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक  
कांकेर वृत्त, कांकेर  
छत्तीसगढ़

**विषय:** Diversion of Forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Chhotedonger Iron Ore Mines M/s Shri Bajrang Power & Ispat Ltd. Have been granted with Mining lease for Iron ore over an Area 66.02 ha. reg.

— पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/MIN/ 11479/ 2015  
**संदर्भ:** मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा.चि./ न.क्र.150/ 2020/ 1631 दिनांक 04.07.2020

※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

उक्त पत्र के माध्यम से नारायणपुर वन मंडल के छोटेडोंगर परिक्षेत्र के ग्राम छोटेडोंगर में लौह अयस्क उत्खनन हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव में इस कार्यालय के परीक्षण के निम्नलिखित त्रुटियां परिलक्षित हुई हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

### I ऑन लाईन कमियां

1. Form A Part-II के अतिरिक्त जानकारी के कालम में - पहुंच मार्ग हेतु तीन विकल्पों को अलग-अलग रंगों में नक्शे में दिखायें। प्रमाणित करें कि तीनों विकल्प वायेबल हैं। प्रमाणित करें कि तीनों में से जो एक विकल्प आपके द्वारा प्रस्तावित किया गया है उसमें सबसे कम वन क्षेत्र व्यपवर्तित होगा। अगर आपके द्वारा प्रस्तावित विकल्प में सबसे कम वनक्षेत्र व्यपवर्तित नहीं होना पाया जा रहा है तो यह प्रमाणित करें कि आपके द्वारा प्रस्तावित विकल्प ही एक मात्र विकल्प है तथा इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। जानकारी अपलोड करें।
2. Form A Part-II के कालम न. 13 (v) (Copy of NOC from Competent Authority :) में अपलोड वनमंडलाधिकारी का पत्र क्रमांक/4532 दिनांक 30.08.2019 है। सर्व प्रथम पत्र का विषय एवं पत्र में लिखे विवरण से मैच नहीं हो रहा है। विवरण में - खनन कार्य - 57.000 हे. के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि चयन कर क्रय हेतु अनुबंध किया गया है एवं खरीदे गये भूमि का खसरावार विवरण पत्र में है। जांच करने पर पाया गया कि जो खसरा वार विवरण अपलोड किया गया है उसका मिलान अगर खसरा वार किया जाता है तो -
  - पैच नं. 1 में अपलोड कुल 12 खसरों की जानकारी दी गई जिसका कुल क्षेत्रफल उपरोक्त पत्रानुसार 16.511 हे. होता है। परन्तु कुल क्षेत्रफल - 24.813 हे. अपलोड किया गया है एवं के.एम.एल का क्षेत्रफल निकालने पर - 24.496 होता है।
  - पैच नं. 2 में अपलोड कुल 1 खसरों की जानकारी दी गई जिसका कुल क्षेत्रफल उपरोक्त पत्रानुसार 2.569 हे. होता है। परन्तु कुल क्षेत्रफल - 1.751 हे. अपलोड किया गया है एवं के.एम.एल का क्षेत्रफल निकालने पर - 3.705 हे. होता है। अगर पैच - 1.751 हे. ही लिया गया है तो के.एम.एल भी उतना होना चाहिए।

- पैच नं. 3 में अपलोड कुल 13 खसरो की जानकारी दी गई जिसका कुल क्षेत्रफल उपरोक्त पत्रानुसार 10.836 हे. होता है। परन्तु कुल क्षेत्रफल – 12.621 हे. अपलोड किया गया है एवं के.एम.एल का क्षेत्रफल निकालने पर – 12.578 हे. होता है।
- पैच नं. 4 में अपलोड कुल 19 खसरो की जानकारी दी गई जिसका कुल क्षेत्रफल उपरोक्त पत्रानुसार 28.525 हे. होता है। परन्तु कुल क्षेत्रफल – 26.835 हे. अपलोड किया गया है एवं के.एम.एल का क्षेत्रफल निकालने पर – 26.950 हे. होता है।


Form A Part-II के कॉलम न. 13. Details of compensatory afforestation scheme में चारों पैचों की जानकारी सही खसरावार, क्षेत्रफल सुधार कर Upload .kml के Attribute में विवरण (जैसे RF / PF along with Compartment no. and area in ha./ Revenue Forest Land along with Khasra no. and area in ha. आदि) चयन किए गए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण सहित अपलोड किया जावे।

3. Form A Part-II के अतिरिक्त जानकारी के कॉलम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का वनमंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित डी.जी.पी.एस रिपोर्ट एवं चयन किए गए क्षतिपूर्ति क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित अपलोड करें।
4. Form A Part-II के कॉलम न. 13 .(iii एवं iv) में वनमंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित टोपोशीट एवं जियोरिफरेंस नक्शा अपलोड करें।
5. Form A Part-II के कॉलम न. 13.(ii) में Copy of CA scheme details: अस्पष्ट है। राजस्व वन उल्लेख किया गया परन्तु उक्त के समक्ष कक्ष क्रमांक लिखा गया है। उक्त जानकारी सही कर स्पष्ट एवं स्वच्छ प्रति अपलोड करें।
6. Form A Part-II के कॉलम न. 4 (ii) (Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL) में कुल वृक्षों की संख्या 1091 अपलोड किया गया है। परन्तु वनमंडलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन में आवेदित क्षेत्र में कुल 22360 वृक्षों का उल्लेख किया गया है। जिसे आनलाईन सुधार किया जाना आवश्यक है।
7. Form A Part-II के कॉलम न. 15 (Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason) में मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाला प्रपत्र पार्ट-3 अपलोड किया गया है। मुख्य वन संरक्षक कांकेर द्वारा भाग-3 भरा गया है परन्तु भाग-3 के प्रथम बिन्दु अनुसार किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न नहीं किया गया है। अतः मुख्य वन संरक्षक कांकेर का भी स्थल निरीक्षण संबंधी टीप संलग्न की जावे तथा अपलोड की जावे।
8. FRA Certificate कलेक्टर कार्यालय द्वारा अपलोड नहीं है।
9. वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा प्रदाय सत्यापित वेजीटेशन मैप फार्म-ए पार्ट-2 के अतिरिक्त जानकारी में अपलोड नहीं किया गया है।

## II. ऑफ लाईन कमियां

1. चेक लिस्ट क्रमांक (13) कास्ट बेनिफिट त्रुटिपूर्ण है। नवीन गाईड लाईन 2019 अनुसार तैयार नहीं किया गया है।
2. चेक लिस्ट क्रमांक (43) तीन विकल्पों में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण में "लागू नहीं है" का उल्लेख किया गया है जो मान्य योग्य नहीं है। पहुँच मार्ग हेतु तीन विकल्पों का परीक्षण किया जाना नवीन गाईड लाईन के पृष्ठ क्रमांक 25 अनुसार आवश्यक है। अतः तीन विकल्पों में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण मय मानचित्र में दर्शाते हुए प्रस्ताव में संलग्न करें तथा तुलना करते हुए औचित्य बतावे कि किस प्रकार आवेदित पहुँच मार्ग ही सर्वोत्तम विकल्प है।

3. पहुँच मार्ग निर्माण उपरांत उक्त मार्ग में शासकीय वाहनों के आने जाने हेतु आवेदक संस्थान को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा आवेदक संस्थान द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा – इस आशय का वचन पत्र आवेदक संस्थान से प्राप्त कर संलग्न किया जावे।


  
अ.प्र.मु.व.स (भू- प्रबंध / व.सं.अ)  
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-230/ 1406

रायपुर, दिनांक 16/07/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर वन मंडल, नारायणपुर, छत्तीसगढ़।
2. संचालक, मेसर्स बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम बोरझारा, उरला-गुमा रोड उरला ग्रोथ सेंटर, रायपुर।

  
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)  
छत्तीसगढ़